UPM0010066262026

न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–11, मुरादाबाद।

उपस्थित– घनेन्द्र कुमार, (उच्चतर न्यायिक सेवा) ID No.–UP 1664

द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र सं0-1897/2026

इस्लाम उम्र लगभग 48 वर्ष पुत्र शमशाद, निवासी लाल मस्जिद रोड मुल्ला कासिम की मस्जिद के पास, थाना कोतवाली, जिला मुरादाबाद।

–––––––प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 राज्य

––––––अभियोजन/विपक्षी

अपराध सं.–436/2026,
धारा–64(1),351(3),316(2) बी.एन.एस.
थाना–मझोला, जनपद–मुरादाबाद,

दिनांक–19.06.2026

निस्तारण द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र

1. प्रार्थी/अभियुक्त **इस्लाम** द्वारा उपरोक्त द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र इकराम **मुकदमा अपराध सं0– 436/2026, अन्तर्गत धारा–64(1),351(3),316(2) बी.एन.एस., थाना–मझोला, जनपद–मुरादाबाद** में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी को उक्त मुकदमें में अभियुक्त बनाया गया है तथा प्रार्थी को रंजिशन झूठा फंसाया गया है तथा प्रार्थी कतई निर्दोष है। प्रार्थी ने ऐसा कोई भी अपराध नहीं किया है जैसा कि वादी मुकदमा द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शाया गया है। वादी मुकदमा द्वारा प्रार्थी पर लगाये गये समस्त आरोप मनगढ़न्त व काल्पनिक तथ्यों पर आधारित है, वादी मुकदमा द्वारा दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपार्ट में घटना दिनाँक–27.12.2019 की दर्शायी गयी है जबकि उक्त घटना रिपोर्ट लगभग 7 वर्ष बिलम्ब से दिनाँक 01.05.2026 पूर्ण विधिक मशवरे से लिखाई गई है जबकि घटना स्थल से थाने की दूरी मात्र 7 किलो मीटर दर्शायी गई है। प्रार्थी ने ना तो वादी मुकदमा की पत्नी को डरा धमका कर उसके साथ बुरा काम किया है और ना ही उसके साथ अपराधिक विश्वासघात किया है और ना ही जान से मारने की धमकी दी है। वास्तविकता यह है कि प्रार्थी पीड़िता आसमा के पिता साजिद के यहां ढ़लाई का कार्य करता था जिस कारण आसमा प्रार्थी को जानती थी। उक्त आसमा प्रार्थी के घर पर आयी और कहने लगी कि उसे पैसे की बहुत जरूरत है और वह अपनी सोने की चीजें गिरवी रखकर पैसे लेना चाहती है। वह यह सोने की चीजें अपने जान पहचान के सुनार के पास रखवा कर उसे पैसे दिला दे, तब प्रार्थी ने मण्डी चौक में सुनार के यहां चीजें गिरवीं रखवा कर 80,000/–रू० वादी मुकदमा की पत्नी आसमा को दिलवा दिये थे, जिसके कुछ दिन बाद वादी मुकदमा की पत्नी ने पुनः जेवर गिरवी रखकर 40,000/–रू० और ले लिये जो कि बाद मे आसमा के भतीजे ने सुनार को पैसे देकर उक्त गिरवी रखी हुई चीजें छुड़ा ली थी। जिसके कुछ दिन बाद पुनः वादी मुकदमा की पत्नी आसमा सोने की चीजें लेकर आयी और बोली कि उसकी देवरानी के भतीजे

Digitally signed by GHANENDRA KUMAR
Date: 2026.06.19 16:48:49 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

की शादी है जिसके लियें उसको पैसे की जरूरत है जैसे उसने उसे सुनार के यहां चीज रखकर पैसे दिलाये थे वैसे ही उसकी देवरानी को भी दिला दो, तब प्रार्थी ने सुनार के यहां चीज गिरवी रखवा कर उक्त आसमा को 2,80,000/–रू० दिलवा दिये थे। कुछ दिन बाद वादी मुकदमा इस्लाम ने फोन कर प्रार्थी को अपने घर बुलाया तब प्रार्थी को पता चला कि आसमा घर मे रखा सोने का जेवर चुरा कर लाती थी और प्रार्थी से झूठ बोल कर प्रार्थी के नाम से गिरवी रखवा कर पैसे ले लेती थी। जब घर पर मौजूद अन्य लोगों ने वादी मुकदमा की पत्नी आसमा से पूछा कि उसने जेवर गिरवी रखकर पैसे किसे दिये हैं तो वादी मुकदमा की पत्नी आसमा ने बताया कि उसने अपने भाई मुन्ना को 1,00,000/–रू०, भतीजे अजीम को 40,000/– रू० व भाई आमिर को सोने के कुण्डल व 60,000 /– रू० व भाई इसरार को सोने की चैन व 40,000/–रू० दिये हैं। जब वहां मौजूद लोगों ने वादी मुकदमा की पत्नी आसमा से पूछा कि उसने इस्लाम को रूपये या जेवर दिये हैं तो वादी मुकदमा की पत्नी आसमा ने साफ इन्कार कर दिया तथा कहा कि वह इस्लाम के नाम से सुनार के यहां जेवर गिरवी रखकर आती थी, जिसके पश्चात वादी मुकदमा व उसके घर वाले प्रार्थी को धमकाने लगे कि वह कुछ नहीं जानते उसने चीजें गिरवीं रखवाई हैं। वह ही छुड़ाकर लायेगा वरना वे उसे जेल भिजवा देंगे। तत्पश्चात वादी मुकदमा ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर झूठी घटना दर्शाकर उपरोक्त झूठा मुकदमा थाना–मझौला पर पंजीकृत करा दिया जिसमें प्रार्थी का चालान कर पुलिस द्वारा जेल भेजा गया है। पुलिस द्वारा प्रार्थी का चालान दिनांक 02.05.2026 को किया गया है, जबकि प्रार्थी को पुलिस द्वारा दिनाँक–30.04.2026 से थाने मे बैठा रखा था और प्रार्थी पर वादी मुकदमा व उसकी पत्नी को पैसे देने का दबाब बनाया जा रहा था, जिसकी पुष्टि थाने मे लगे सी०सी०टी०वी० कैमरे से की जा सकती है। वादी मुकदमा ने घटना स्थल अपने घर का दिखाया है तथा वादी मुकदमा के घर के आस पास लगभग 10–15 और अन्य लोगों के घर है जो कि वादी मुकदमा के रिश्तेदार हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा वादी मुकदमा के घर मे घुस कर व उसकी पत्नी को डरा धमका कर 5,00,000/–रू० ले जाना सम्भव ही नहीं है। वादी मुकदमा द्वारा दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट व उसकी पत्नी आसमा द्वारा विवेचक को दिये गये ब्यान अन्तर्गत धारा–180 बी०एन०एस० व न्यायालय मे दिये गये ब्यान अन्तर्गत धारा–183 बी०एन० एस० मे काफी विरोधाभास है तथा पीड़िता द्वारा वादी मुकदमा के कथनों को समर्थन, नही किया गया है। प्रार्थी दिनाँक 02.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थी का जमानत प्रार्थना पत्र माननीय अवर न्यायालय द्वारा दिनांक–25.05.2026 को निरस्त किया जा चुका है जिसके पश्चात प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र सं०–1739/2026 दाखिल किया था जो कि दिनाँक 08.06.2026 को प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा नोटप्रेस किया गया है उक्त जमानत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के जमानत खारिजा आदेश दिनाँक 25.05.2026 की फ्री कॉपी संलग्न हैं जिस कारण प्रार्थी द्वारा अपने द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र के साथ खारिजा आदेश की सत्यापित नकल संलग्न है। प्रार्थी का यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र है तथा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र न तो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में और न ही अन्य किसी सत्र न्यायालय में लम्बित है और न ही खण्डित हुआ है। प्रार्थी सीधा सादा व्यक्ति हैं तथा मेहनत मजदूरी कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता है। प्रार्थी जेल में रहकर अपने उक्त मुकदमें की पैरवी निष्पक्ष व सही प्रकार से नहीं कर सकता है। अतः प्रार्थी को उपरोक्त वाद में जमानत पर रिहा करने की कृपा करें।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक वादिनी मुकदमा श्रीमती आसमा की तहरीर के आधार पर इस प्रकार है कि प्रार्थिनी श्रीमती आसमा पत्नी मौ० इस्लाम, निवासी गांगन वाली मैनाठेर थाना मझोला जिला मुरादाबाद की रहने वाली है। प्रार्थिनी का मुंह बोला भाई इस्लाम पुत्र शमशाद, निवासी लाला मस्जिद रोड मुल्ला कासिम की मस्जिद के पास, थाना कोतवाली सदर, जिला मुरादाबाद का रहने वाला है। इस्लाम का प्रार्थिनी के घर आये दिन आना जाना रहता था। दिनांक 27/12/2019 को इस्लाम प्रार्थिनी के घर आया और बोला कि वह बहुत परेशान है। वह उसे कुछ पैसे उधार दे दे। तब प्रार्थिनी ने कहा कि उसके पास पैसे तो नहीं है, मगर उसके पास सोने की चीज है, अगर उसका काम हो जाये तो वह ले ले, इस्लाम ने कहा कि वह उसे वो चीज दे दे, वह सुनार के पास चीज रखकर पैसे ले जायेगा। कुछ दिनो बाद इस्लाम प्रार्थिनी के पास आया और बोला कि सुन आसमा

वह उसे सोने की चीज और दे दे नहीं तो वह उसके पति और ससुराल वालो को बता देगा कि प्रार्थिनी व उसके नाजायज सम्बन्ध है। प्रार्थिनी यह सुनकर हक्का बक्का रह गयी और रोते हुये कहने लगी कि भाई तू यह क्या कह रहा है। उक्त इस्लाम ने प्रार्थिनी को डरा धमकाकर अपनी बातो में फंसा लिया और उक्त इस्लाम ने प्रार्थिनी की मर्जी ना होते हुए भी प्रार्थिनी के साथ जबरन बालात्कार किया और सोने के गहने लेकर चला गया और प्रार्थिनी को धमकी दी की अगर इस बात को किसी की भनक भी लगी तो वह उसके घर वालो को सब कुछ बता देगा। प्रार्थिनी ने डर के मारे यह बात किसी को नहीं बतायी। उक्त इस्लाम जब भी उसे मौका मिलता तो वो प्रार्थिनी के घर आता और प्रार्थिनी के साथ जबरन बलात्कार करता और प्रार्थिनी को डराता धमकाता और कहता कि जितना भी सोना तेरे पास है, थोडा थोडा करके सब उसे दे दूं नहीं तो वह उसे व उसके बच्चो को किसी भी दिन जान से मार देगा। प्रार्थिनी डर मारे अपनी शादी बचाने के लिये उक्त इस्लाम का कहना मानती रही। उक्त इस्लाम ने 06 सालों में प्रार्थिनी के साथ जबरन बलत्कार किया अब लगभग 25 तोले सोना डरा धमकाकर प्रार्थिनी से ले लिया। दिनांक 8/4/2026 को उक्त इस्लाम अपनी पत्नी नसरीन के साथ प्रार्थिनी के घर आया और कहने लगा कि वह उसे 5,00,000 / रुपये दे दे वरना वह अभी के अभी उसके पति को सब कुछ बता देगा तथा तमन्चा निकाल कर जान से मारने की धमकी देने लगा। प्रार्थिनी यह सुनकर डर गयी और अलमारी में से 5,00,000 /रुपये जो कि घर में शादी होने के लिये रखे थे प्रार्थिनी ने उक्त इस्लाम को दे दिये। दिनांक 14/4/2026 को प्रार्थिनी के पति इस्लाम पुत्र अली हुसैन ने जब प्रार्थिनी से कहा कि शादी में खर्चा होने वाले पैसै और सारे गहने कहां है। प्रार्थिनी डर गयी और अपने पति को सब कुछ साफ साफ बता दिया। प्रार्थिनी के पति यह सब बात सुनकर दंग रह गये। प्रार्थिनी के पति इस्लाम ने उक्त इस्लाम को अपने घर बुलाया तो उक्त इस्लाम ने घर आने से मना कर दिया और कहने लगा कि उसे पता है कि उसे घर क्यों बुला रहा है और अगर उसने यह बाते किसी को बतायी बतायी तो वह उसे व उसकी बीवी को सारी रिश्तेदार में बदनाम कर देगा। सोने की चीज की सूची व सुनहार के यहाँ की पर्ची प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थिनी बहुत परेशान होकर श्री मान जी की शरण में आयी है। अतः श्रीमानजी से प्रार्थना है, कि प्रार्थिनी के सारे गहने उक्त इस्लाम से दिलवाये जाने व इस्लाम के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कठोर कार्यवाही करने के आदेश पारित करने कि कृपा कि जावे।

4. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे रंजिशन झूंठा फंसाया गया है एवं प्रार्थी/अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा/पीड़िता के साथ जबरन बलात्कार नहीं किया और न ही उसे जान से मारने की धमकी दी एवं न ही पीड़िता द्वारा प्रार्थी को कोई सोने के जेबरात एवं पैसे दिये गये, जिनका प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा दुरूपयोग किया गया हो। द्वारा अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाए।

5. अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा/पीड़िता के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया गया, उसे जान से मारने की धमकी दी गयी एवं पीड़िता से उसके सोने के गहने गिरबी रख दिये एवं पांच लाख रूपये बेईमानीपूर्वक गबन किये गये। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

6. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना गया एवं समस्त अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

7. अभियोजन कथनानुसार, प्रार्थी/अभियुक्त पर पीड़िता के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने, उसे जान से मारने की धमकी देने एवं पीड़िता के सोने के गेहने गिरबी रखने व पांच लाख रूपये बेईमानीपूर्वक गबन करने का आरोप है। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादिनी मुकदमा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना की दिनांक 27.12.2019 दर्शायी है, जबकि घटना की रिपोर्ट लगभग सात वर्ष विलंब से दिनांक 01.05.2026 को अभिलिखित करायी गयी है। विवेचक द्वारा प्रकरण की विवेचना पूर्ण की जा चुकी है। पीड़िता द्वारा दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं

पीड़िता के बयान अंतर्गत धारा 180 बी0 एन 0 एस 0 एस 0 एवं बयान अंतर्गत धारा 183 बी0 एन 0 एस 0 एस 0 में विरोधाभास प्रतीत हो रहा है। पत्रावली पर वादिनी मुकदमा की चिकित्सीय आख्या में उसके शरीर पर कोई आघात न होने संबंधी आख्या संलग्न है। अभियुक्त दिनांक 02.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को द्वितीय जमानत प्रदान किये जाने का पर्याप्त आधार है, तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **इस्लाम** द्वारा **अपराध सं.–436/2026, अन्तर्गत धारा–64(1),351(3),316(2) बी.एन.एस., थाना–मझोला, जनपद–मुरादाबाद** में प्रस्तुत उपरोक्त द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा रुपये 1,00,000/– की धनराशि के दो प्रतिभूगण एवं समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर निष्पादित करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाए कि–

1– प्रार्थी/अभियुक्त समान प्रकार के अपराध में पुनः संलिप्त नहीं होगा।

2– प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा एवं अनावश्यक स्थगन नहीं लेगा।

3– प्रार्थी/अभियुक्त प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अभियोजन साक्षीगण को न डराएगा और न ही धमकाएगा तथा अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ भी नहीं करेगा।

4– प्रार्थी/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा।

(घनेन्द्र कुमार)

दिनांक-19.06.2026

(I.D. No.-U.P. 1664)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

न्यायालय सं0–11, मुरादाबाद,